


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज तुलसाराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) सू.अ.अपील संख्या 61 / 2023</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>08.03.23</p>	<p>अपीलार्थी तुलसाराम पुत्र मोहनराम निवासी गांव धींगाणा, पोस्ट गुड़ा विश्नोइयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2022 में उसके द्वारा कार्यालय तहसीलदार, लूणी को राजस्थान सुनवाई का अधिकारी अधिनियम 2012 के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं निस्तारित आवेदन पत्रों की प्रमाणित प्रतियां (01 जनवरी 22 से 31 अक्टूबर 22) (2) अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;">  (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर पिसा कलक्टर, जोधपुर (रा.प.) </div>	